तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–15/2016** **सी.आई.एस संख्या– 19/2016** **मोती बनाम मोहिनी व अन्य** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

04.02.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाहन रामलाल, व गणेश के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए जिनकी नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। प्रतिवादिया के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.01.2026 के समर्थन में फर्द के साथ विक्रय पत्र दिनांकित 23.12.2015 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। जिसके संबंध में अधिवक्ता वादी ने आपत्ति की कि इस स्तर पर इस दस्तावेज को प्रस्तुत नही किया जा सकता। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादिया ने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में यह अंकित किया था कि प्रमाणित प्रति उपपंजीयक अजमेर से प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 जा.दी. सुनी गई इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादिया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमती मोहिनी द्वारा दयाल व लक्ष्मण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 10.06.2016 के संबंध में समचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशित आमसूचना की प्रति व नौरती द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अपने भतीजें रामा, भागीरथ, बीजा व गोपी, को	

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–15/2016** **सी.आई.एस संख्या– 19/2016** **मोती बनाम मोहिनी व अन्य** 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

विक्रय किये जाने के विक्रय पत्र दिनांकित 23.12.2015 की प्रमाणित प्रति हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी ने इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत करने को कोई न्यायसंगत कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। आज जो विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, वह विधि अनुसार जारी नही की गई है। इस पर नकल का कोई टिकिट या फीस अंकित नही है। जो समाचार की प्रति प्रस्तुत की गई है वह प्राथमिक दस्तावेज की श्रेणी में नही आती है। हस्तगत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर है। जहां तक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति का प्रश्न है, इस दस्तावेज पर उपपंजीयक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये जिस पर स्पष्ट रूप से इस दस्तावेज का प्रमाणित प्रति होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में वादी अधिवक्ता की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि यह दस्तावेज

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–15/2016** **सी.आई.एस संख्या– 19/2016** **मोती बनाम मोहिनी व अन्य** 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

समुचित रूप से नकल फीस लेकर जारी नही किया गया है। यदि इस दस्तावेज के संबंध में समुचित फीस संबंधित विभाग द्वारा नही ली गई है तो वादी उस विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्य दस्तावेज राष्ट्रदूत समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना दिनांक 09.03.2018 की प्रति है। प्रार्थी/प्रतिवादिया इस प्रार्थना के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। वे दस्तावेज हस्तगत प्रकरण के पक्षकारों एवं विषय–वस्तु से संबंधित है एवं इस प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। जहां तक इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस देरी को कॉस्ट लगाकर कम्पनसेट किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 जा.दी. 1000/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। कॉस्ट राशि वादी को अदा की जावे।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक **18.02.2026** को पेश हो।

(संदीप आनन्द)
अपर जिला न्यायाधीश सं.1,
किशनगढ अजमेर

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–15 / 2016** **सी.आई.एस संख्या– 19 / 2016** **मोती बनाम मोहिनी व अन्य** 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये